2024/396

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थी :– मोहम्मद शरीफ पुत्र मौलाबक्स जाति व्यापारी निवासी दिल्ली गेट के बाहर डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– अब्दुल गनी पुत्र मो. रज्जा खत्री जाति मुसलमान निवासीगण दिल्ली गेट के बाहर डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन वगै.।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या 146/2024 सन्–2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
23.08.2024	प्रार्थी मोहम्मद शरीफ पुत्र मौलाबक्स जाति व्यापारी निवासी दिल्ली गेट के बाहर डीडवाना, जिला डीडवाना– कुचामन ने यह प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अब्दुल गनी पुत्र मो. रज्जा खत्री जाति मुसलमान निवासीगण दिल्ली गेट के बाहर डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन वगै. के विरूद्ध पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर प्रार्थी के एकपक्षीय तर्क सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना के पुराने खेत खसरा संख्या 2762, 2763, 2764 (नया खसरा संख्या 1063, 1066) की भूमि का विक्रय/ हस्तानान्तरण नहीं करेंगे तथा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। **नोट** :– 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनाँक 30.09.2024 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना डीडवाना 30/9/24 पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा. अवकाश/ कार्य/ ... ... मिसल दिनांक 29/10/... ... ।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:52:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

29/10/24
...ी पेश हुई।
... डीडवाना ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे है।
पत्रावली दिनांक 27/11/24 को पेश हो।

27/11/24
वकील प्रार्थी उप.।
तामील रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 23/1/25 को पेश हो।
Vikas

23/1/25
पत्रावली पेश हुई। श्री मान् P.O. सा.
अ... / ... कार्य / दौरे पर पधारे है।
मिसल दिनांक 28/3/25 को पेश हो।

28/3/25
पत्रावली पेश हुई। श्री मान् P.O. सा.
अवकाश / अन्य कार्य / दौरे पर पधारे है।
मिसल दिनांक 21/4/25 को पेश हो।

21/4/25
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाजें लगाई गई। बावजूद आवाजों के प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता हाजिर नहीं होने से पत्रावली अदम हाजिरी-अदम पैरवी में खारिज की जाकर मिलान मुताबिक होकर नम्बर से कम हो।
vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:52:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner